

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :- पंकज बडगुजर (R.A.S.)

दावा सख्या  
12/2022

रजू दिनांक  
24.01.2022

निर्णय दिनांक  
17.11.2022

// उनवान //

1 महेन्द्रसिंह पुत्र रतनसिंह जाति राजपूत निवासी गादूवास तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

:- वादी

**बनाम**

- 1 महावीरसिंह पुत्र रतनसिंह
- 2 शिम्भूसिंह पुत्र रतनसिंह
- 3 शिवराजसिंह पुत्र सवाईसिंह
- 4 सोहनसिंह पुत्र सवाईसिंह
- 5 पिकीसिंह पुत्र सवाईसिंह
- 6 भूतेरी पत्नि सुरेन्द्रसिंह जातियान राजपूत निवासीयान गादूवास तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0।
- 7 श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर, राज0।
- 8 श्रीमान सबरजिस्ट्रार महोदय मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

:- प्रतिवादीगण

दावा- इश्तकरारहक दुरुस्ती इन्द्राज  
बम्य हु0ई0 दवामी अन्तर्गत धारा 88,89  
188 राज0 काश्त0 अधि0 सन् 1955।

उपस्थिति:- श्री गंगाराम पटेल- वकील वादी

**निर्णय**

दिनांक 17.11.2022

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील वादिया उपस्थित आये। वादी के वाद का सारतः रहा कि हाल आराजी ख0नं0 841/0.39 है0 वाके ग्राम गादूवास में स्थित होकर साबिक ख0नं0 705/0.39 है0 से पैमूद हुये है जो विवादित आराजी कहलाएगी। उक्त विवादित आराजी प्रतिवादीगण सं0 01 ल0 06 की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी थी जिसे उन्होंने दिनांक 19.09.2013 को विवादित आराजी के बाबत रजिस्टर्ड रिलीज डीड मिनवादी के पक्ष में कराई है तथा रिलीज की दिनांक से मिनवादी उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। रिलीज डीड की प्रति पटवारी हल्का को वास्ते दर्ज करने इन्तकाल दे दी थी जिसका इन्तकाल नं0 1454 मिनवादी के पक्ष में दर्ज व मंजूर किया गया। इस हेतु क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु नकल प्राप्त की तो जानकारी हुई की इन्तकाल में 23/108 भाग मिनवादी के नाम दर्ज किया जो गलत दर्ज हुआ है क्योंकि आराजी का सालिम रकबा 0.39 है0 की रिलीज प्रतिवादीगण सं0 01 ल0 06 ने मिनवादी के नाम की है इसलिए इन्तकाल नं0 1554 मिनवादी के अधिकारों के खिलाफ होकर प्रभाव शून्य है जिसे मिनवादी उनका नाम हजफ कराकर सालिम रकबा पर स्वयं को खातेदार घोषित कराने का अधिकारी है का निवेदन करते हुये वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावें की विवादित आराजीयात से प्रतिवादीगण सं0 01 ल0 06 का नाम हजफ कर सालिम आराजी पर मिनवादी को खातेदार घोषित किया जावे एवं

उपखण्डाधिकारी  
मुण्डावर (अलवर) राज0



प्रतिवादीगण को हू0ई0 दवाभी से पाबंद किया जावे कि वे आराजीयात को दिगर जगह रहन, बय आदि प्रकार से मुन्तकिल न करे का निवेदन रहा।

पकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर वाद विधिवत तलबी प्रतिवादी सं0 01 ल0 06 जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर इकबाल जवाब दावा पेश किया जो शामिल पत्रावली है। मुताबिक इकबाल जवाब विवादित आराजी सालिम का वादी को खातेदार घोषित किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है। ठीक इसी प्रकार बाद तलबी पैरोकार सरकार ने जवाब पैरोकार सरकार पेश किया जो शामिल पत्रावली है। मुताबिक पैरोकार सरकार रिकॉर्ड स्तर तक स्वीकार है, वादी स्वयं सिद्ध करे एवं बिन्दू सं0 05 वर्णित कथन सही है अंकित करते हुये ख0नं0 साबिक 705 व वर्तमान 841 में डीड अनुसार संपूर्ण वादी के नाम दर्ज किया जाना चाहिए था। वादी को वर्तमान ख0नं0 841 में संपूर्ण हिस्सा दिया जाना उचित है अंकित करते हुये वादी स्वयं सिद्ध करे, कानूनन, क्षेत्राधिकार, श्रवण योग्य व कोर्ट फीस से संबंधित होना अंकित करते हुये पेश किया गया है। वादी ने अपने वादपत्र की तार्ईद में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल जमाबंदी सम्वत् 2078 प्रदर्श-1, नकल इन्तकाल 1454 प्रदर्श-2, रिलीज डीड दिनांक 19.09.2013 प्रदर्श-3, नकल जमाबंदी सम्वत् 2069 प्रदर्श-4, नकल जमाबंदी सम्वत् 2072 प्रदर्श-5, मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2072 प्रदर्श-6 एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र महेन्द्रसिंह पीडब्ल्यू-1 पेश किये है जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादी की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र के जिम्मनों को दौहराते हुये अभिकथन किया कि साबिक ख0नं0 705/0.39 वाके ग्राम गादूवास तह0 मुण्डावर को प्रतिवादी सं0 01 ल0 06 ने दिनांक 19.09.2013 को रजिस्टर्ड रिलीज डीड वादी के पक्ष में कराई हुई है जिसके मुताबिक इन्तकाल स0 1454 वादी के पक्ष में दर्ज व मंजूर किया गया है जो विवादित आराजीयात संपूर्ण प्रतिवादी सं0 01 ल0 06 की होकर संपूर्ण आराजीयात के बाबत की उक्तानुसार ही रिलीज डीड संपूर्ण हक हिस्से बाबत वादी के पक्ष में रजिस्टर्ड रही है लेकिन उक्त इन्तकाल सं0 1454 में वादी के पक्ष में 23/108 भाग ही वादी के नाम दर्ज किया गया है जो कानूनन गलत है इस हेतु वादी ने अपने वादपत्र की तार्ईद में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल जमाबंदी सम्वत् 2078 प्रदर्श-1, नकल इन्तकाल 1454 प्रदर्श-2, रिलीज डीड दिनांक 19.09.2013 प्रदर्श-3, नकल जमाबंदी सम्वत् 2069 प्रदर्श-4, नकल जमाबंदी सम्वत् 2072 प्रदर्श-5, मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2072 प्रदर्श-6 एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र महेन्द्रसिंह पीडब्ल्यू-1 पेश किये हैं तथा प्रतिवादीगण सं0 01 ल0 06 की ओर से भी जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर इकबाल जवाब दावा यह अंकित करते हुये कि सालिम आराजी पर वादी को खातेदार घोषित किया जाता है तो हमें कोई एतराज नहीं होगा पेश होकर शामिल पत्रावली है एवं पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार भी स्पष्ट अंकित है कि वर्तमान ख0नं0 841 में संपूर्ण हिस्सा वादी का दर्ज किया जाना उचित है का अभिकथन करते हुये वादी के वाद को डिक्री किये जाने का अभिकथन रहा।

वकील वादी की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई व पत्रावली तथा पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी के वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

## आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी के हाल आराजी ख0नं0 841/0.39 है0 वाके ग्राम गादूवास तह0 मुण्डावर के बाबत के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वादी के वाद को डिक्री किया जाता है एवं हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी सं0 01 ल0 06 के नाम हो रहे अंकन को हटाफ किये जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं उनके स्थान पर उक्त विवादित आराजीयात के संपूर्ण

पत्रावली अधिकारी  
मुण्डावर (अलवर) राजस्थान

हिस्से के बाबत वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 17.11.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

17-11-2022

(पंकज बडगुजर)  
उपखण्ड अधिकारी  
मुण्डावर, जिला अलवर राज०

03/01/2023 आज प्रथम बार पेशाब का कालीबिन्दु का मुकदमा स्वीकार होकर  
उक्त जिला के शीर्षक के प्रोवोडि एन० ५ सैडि किटिंग के फिल का अकिंग का  
सर्वी किटिंग के बजाय रत्नम किटिंग पठा जावे एवं शेष जिला प्रवतः  
प्रभाव रहेगा।

03-01-2023  
उपखण्ड अधिकारी  
मुण्डावर (अलवर) राज०